न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक्ट) जमवारामगढ़,
जिला जयपुर (राज0)

फर्द अहकाम

रणजीता बनाम सरजीता वगेरहा

प्रार्थना पत्र संख्या 34 / 2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
23.05.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से एडवोकेट महेश शर्मा नयाबास द्वारा पेश किया गया। प्रार्थी को इकतरफा सुना गया। प्रार्थी को विधिक अधिकारों व मौके से बेदखल कर प्रार्थी के अधिकारों का हनन् करने पर अप्रार्थीगण आमदा है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने हेतु निवेदन किया है। हमने प्रस्तुत प्रा0 पत्र, शपथ पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थी के कथनों पर मनन किया। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे प्रतीत होता है। अतः अप्राथीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि ग्राम बिसोरी में अविभाजित भूमि खसरा नं0 237 रकबा 6.2200 हैक्टेयर भूमि में वर्तमान कब्जे, मौके एवं रिकार्ड, निर्माण की यथास्थिति रखें, निर्माण व प्रार्थी की बेदखली नहीं करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्टे आदेश की प्रति तहसीलदार व थानाधिकारी को पालनार्थ भेजा जावे एवं तलबी अप्रार्थीगण की जारी होकर पत्रावली दिनांक 19.06.2023 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ जयपुर
19/6/23	पत्रावली पेश हुई। PO [illegible] पत्रावली सुनवाई ... दिनांक 11-7-23 को पेश हो। [signature]
11.7.23	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी [illegible] पूर्व पेश की गई। मुताबिक पत्रावली दिनांक 11.7.23 को पेश हो। [signature]
20/7/23	पत्रावली पेश हुई। मूलवाद को वादी ने विड्रा किया है जिसके पश्चात इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहा। अतः प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलानुसार होकर नाजर के यहाँ हो। बादपूर्ति दाखिल दफ्तर हो। [signature]

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर